


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी व्याख्याता-हिन्दी के अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश में उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है -

क्र. सं.	नाम आशार्थी मय पदस्थान स्थान	आदेश क्र.स.	आदेश दिनांक	वांछित संशोधन
1	जगदीश प्रसाद, पिपरली-सीकर	5	27.02.17	विद्यालय का शुद्ध नाम पिपरली-सीकर पढा जावे
2	सुरेश सैनी, बेसवा- सीकर	45	27.02.17	शुद्ध जन्मतिथि 08.02.1986 पढी जावे
3	कमलेश जोशी, मेहरी-चूरू	31	27.02.17	स्कूल शिक्षा के स्थान पर कॉलेज व्याख्याता अनुमति पढा जावे ।
4	सुमन कुमारी, धन्नासर- हनुमानगढ	14	27.02.17	शुद्ध जन्मतिथि 05.10.1987 पढी जावे ।
5	कल्पना शर्मा, नौगावा, अलवर	32	23.03.17	कॉलेज व्याख्याता की अनुमति हेतु एवं शुद्ध जन्मतिथि 29.10.1984 पढी जावे ।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/अनापत्ति प्रमाण/2015-16

दिनांक- 30.3.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक)
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- 3 संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि,
- 4 संबंधित कार्मिक
- 5 निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर